हिमाचल प्रदेश राज्य बीज एवम् जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण, शिमला

परिशिष्ट–'1'

उर्वरण तथा मृदा अनुकूलन में प्रयोगार्थ उत्पाद

जैविक कृषि में मृदा उर्वरता को ऐसी जैविक सामग्री के पुनः चक्रण के माध्यम से बनाये रखना संभव हो सकता है जिनके पोषक तत्वों को मृदा सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया की कार्यवाही के द्वारा फसलों के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

इनमें से अधिकतर को आदानों के प्रयोग के अंतर्गत जैविक उत्पादन में स्वीकृत (Allowed)/सीमित/निषिद्ध किया गया है। निम्न तालिका में दर्शाये निर्देशानुसार इनका पालन सुनिश्चित करना होगा।

आदान	उपयोग हेतु निर्देश
जैविक प्रक्षेत्र इकाई के अंतर्गत उत्पादित पदार्थ	
प्रक्षेत्र तथा मुर्गी खाद, स्लरी, गौमूत्र	उपयोग किया जा सकता है।
फसल अवशेष तथा हरी खाद	उपयोग किया जा सकता है।
भूसा तथा अन्य घासपात	उपयोग किया जा सकता है।
जैविक प्रक्षेत्र इकाई से बाहर उत्पादित पदार्थ	
परिरक्षकों से रहित रक्त आहार, मांस आहार, अस्थि आहार, पिच्छ (पंख) आहार	*आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
किसी भी कार्बन आधारित अवशिष्टों (मूर्गी सहित पशुओं का मल) से निर्मित कम्पोस्ट	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
खाद, स्लरी, गौमूत्र (**'फैक्टरी कृषि' स्त्रोतों को अनुमति प्रदान नहीं की गयी है।)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मछली तथा परिरक्षकों रहित मछली उत्पाद	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
ग्वानो (चिड़ियों के बीट से तैयार खाद)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मानव मल	उपयोग नहीं किया जा सकता है।
सूक्ष्म जीव, वनस्पति अथवा पशु मूल के जैविक रूप से नष्ट हो सकने वाली सामग्री के खाद्य तथा वस्त्र उद्योगों के कृत्रिम योज्यों से रहित उप उत्पाद	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
कृत्रिम योज्यों से रहित पांस	उपयोग नहीं किया जा सकता है। (मृदा अनुकूलन हेतु निषिद्ध)
बुरादा, लकड़ी की छीलन, लकड़ी बशर्ते कि वह अशोधित लकड़ी से उत्पन्न हो।	उपयोग किया जा सकता है।
समुद्री शैवाल तथा भौतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न समुद्री शैवाल उत्पाद, जल द्वारा अथवा जल या क्षारीय अम्ल या क्षारीय घोल द्वारा निष्कर्षण	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मलजल गारा तथा पृथक स्त्रोतों से शहरी कम्पोस्ट जिनकी संदूषण हेतु निगरानी की गई हो	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
भूसा	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
वर्मीकम्पोस्ट	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
पशु चारकोल	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
कम्पोस्ट तथा प्रयुक्त मशरूम तथा कृमिरूपी पदार्थ	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
जैविक घर संदर्भ से कम्पोस्ट	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
वनस्पति अवशिष्ट से कम्पोस्ट	उपयोग किया जा सकता है।

HPSSOF

ताड़ (आयल पाम), नारियल तथा कोको से उत्पन्न उपजात (खाली फल गुच्छें, ताड तेल मिल बाहिःस्त्राव (पोम), कोको पांस तथा खाली कोकोआ फली सहित)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
जैविक कृषि के अवयवों का प्रसंस्करण करने वाले उद्योगों के उपजात	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
खनिज	
बेसिक धातुमल	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
चूनेदार तथा मैग्नेशियम पत्थर	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
कैल्सीभूत शैल प्रवाल	उपयोग किया जा सकता है।
कैल्शियम क्लोराइड	उपयोग किया जा सकता है।
प्राकृतिक मूल के कैल्शियम कार्बोनेट (चाक,चूना–पत्थर, जिप्सम और फॉस्फेटचाक)	उपयोग किया जा सकता है।
निम्न क्लोरीन धारित युक्त खनिज पोटेशियम (यथा सल्फेट आफ पोटाश, काइनाइट, सिल्वीनाइट,पाटेनकली)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
प्राकृतिक फॉस्फेट्स (यथा रॉक फॉस्फेट्स)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
चूर्ण शैल	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
सोडियम क्लोराइड	उपयोग किया जा सकता है।
सूक्ष्म मात्रिक तत्व (बोरोन,लोहा,मैंगनीज,मॉलीबडनम, जस्ता)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
अशोधित लकड़ी से काष्ठराख	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
पोटेशियम सल्फेट	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मैग्नेशियम सल्फेट (इप्सॉन नमक)	उपयोग किया जा सकता है।
जिप्सम (कैल्शियम सल्फेट)	उपयोग किया जा सकता है।
धानी तथा धानी अर्क (साइलेज एवं साइलेज एक्सट्रेक्ट)	उपयोग किया जा सकता है। (अमोनियम साइलेज को छोड़कर)
एल्युमिनियम कैल्शियम फॉस्फेट	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
सल्फर	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
पत्थर–चक्की (स्टोन मील)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मिट्टी (बेन्टोनाइट, परलाइट, जियोलाइट)	उपयोग किया जा सकता है।
सूक्ष्मजैविक विरचनें	
जीवाणु विरचनें (जैव उर्वरक)	उपयोग किया जा सकता है।
बायोडायनैमिक विरचनें	उपयोग किया जा सकता है।
वनस्पति विरचनें तथा वनस्पति मूलक अर्क	उपयोग किया जा सकता है।
कृमिरूप (वर्मीकुलेट)	उपयोग किया जा सकता है।
पांस	उपयोग किया जा सकता है।

* आपात स्थिति के उपयोग सूची के आदानों को प्रमाणीकरण संस्था की पूर्व अनुमति लेकर उपयोग किया जाए।

** फैक्टरी कृषि से अभिप्राय औधोगिक प्रबंध प्रणालियों से है जो कि ऐसे पशु चिकित्सा तथा आहार इनपुटस् पर बहुत अधिक निर्भर होतीहैं जिनको जैविक कृषि में अनुमति प्रदान नहीं की गई हो।

HPSSOPCA

परिशिष्ट–'2'

वनस्पति कीट तथा रोग नियंत्रण हेतु उत्पाद

जैविक कृषि में वनस्पति उत्पादन में कीटों तथा रोगों के नियंत्रण हेतु कतिपय उत्पादों का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है। ऐसे उत्पादों का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जबकि ऐसा करना नितांत आवश्यक हो तथा पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुये उनका चयन किया जाना चाहिए।

इनमें से अनेक उत्पादों को जैविक उत्पादन में प्रयोग हेतु सीमित किया गया है। निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार इनका प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

आदान	उपयोग हेतु निर्देश
1. वनस्पति तथा पशु मूल के पदार्थ	
Azadirachta Indica (नीम उत्पाद)	उपयोग किया जा सकता है।
नीम तेल	*आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
Derris elliptica, Lonchocarpus, Thephorsia spp से रोटेनोन की निर्मिति	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
जेलेटिन	उपयोग किया जा सकता है।
प्रोपोलिस	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
वनस्पति आधारित विकर्षक (जैसे– लहसुन, पोंगेमिया आदि)	उपयोग किया जा सकता है।
पायरेथ्रिन्स, सिनेरेरीफोलियम से विकर्षित पायरेथ्रिन्स उत्पाद	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
क्यूसिया अमारा से तैयार उत्पाद	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
कीटो के परजीवी–परभक्षियों का प्रयोग	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
रेनिया स्पीसीज का विकर्षक (Ryania species)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
तंबाकु चाय	उपयोग नहीं किया जा सकता है।
लेसिथिन	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
कैसीन	उपयोग किया जा सकता है।
शैल प्रवाल, शैल प्रवाल भोजन, शैल प्रवाल अर्क, समुद्री नमक तथा खारा पानी	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मशरूम का अर्क (शिटाके फफूंद)	उपयोग किया जा सकता है।
क्लोरेला का अर्क	उपयोग किया जा सकता है।
एस्परजिलस का किन्वित उत्पाद	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
प्राकृतिक अम्ल (सिरका)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
2. खनिज	
चूना/सोडा के क्लोराईड	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
क्ले (यथा बेन्टोनाइट, परलाइट,वर्मिक्यूलाइट, जियोलाइट)	उपयोग किया जा सकता है।
फफूँद नाशक के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले	आपात स्थिति में ही उपयोग किया

HPSOPCA

हिमाचल प्रदेश राज्य बीज एवम् जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण, शिमला

कॉपर सॉल्टस/इनऑर्गेनिक साल्टस (बोर्डो मिक्स,कॉपर हाइड्रोऑक्साइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड)	जाये।
मिनरल पाउडर्स (स्टोन मील)	उपयोग नहीं किया जा सकता है।
डायेटोमिसयस अर्थ	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
हल्के खनिज तेल	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
परमैंगनेट ऑफ पोटाश	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
लाइम सल्फर (कैल्शियम पोलीसल्फाइड)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
सिलिकेटस, क्ले (बेन्टोनाइट)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
सोडियम बाइकार्बोनेट (खाने का सोडा)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
सल्फर(फफूंद नाशक, मकड़ीनाशी, विकर्षक के रूप में)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
3. जैविक पीड़क नियंत्रण हेतु सुक्ष्मजीव	
विषाणु विरचनें(उदाहरणार्थ–ग्रेन्यूलोसिस वाइरस, न्यूक्लियस पोलीहाइड्रोसिस वाइरस आदि)	उपयोग किया जा सकता है।
फंगस प्रीपेरशंस (उदाहरणार्थ–ट्रिकोडरमा प्रजातियां आदि)	उपयोग किया जा सकता है।
बैक्टेरियल प्रीपेरेशंस(उदाहरणार्थ,बेसिलस प्रजातियां आदि)	उपयोग किया जा सकता है।
परजीवी (पेरासाइट्स),परभक्षी (प्रीडेटर्स) और वन्ध्य कीट	उपयोग किया जा सकता है।
4. अन्य	
कार्बन डायऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मुलायम साबुन (पोटाशियम साबुन)	उपयोग किया जा सकता है।
इथाइल एल्कोहल	उपयोग नहीं किया जा सकता है।
होम्योपैथिक एवं आयुवैदिक विरचनें (पदार्थ)	उपयोग किया जा सकता है।
जड़ीबूटी युक्त तथा बायोडायनैमिक विरचनें	उपयोग किया जा सकता है।
5. फंदे (Trap)	
भौतिक विधियाँ (उदाहरणार्थ–क्रोमोटिक फंदे, मैकेनिकल फंदे, प्रकाश फंदे चिपकने वाले फंदे और फेरोमोन्स)	उपयोग किया जा सकता है।

* आपात स्थिति के उपयोग सूची के आदानों को प्रमाणीकरण संस्था की पूर्व अनुमति लेकर उपयोग किया जाए।

HPSSOPCA